अनुबंध 1

प्रकटीकरण आवश्यकताएं

भाग ए – पात्र स्वर्ण एवं चांदी सपार्श्विक के विरुद्ध दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट आकार (₹ करोड़)	औसत [10] एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋण के % के रूप में			
1. **वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक शेष** (क)+(ख)					
(क) उपभोग ऋण					
उसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(ख) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					
2. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित नये ऋण** (ग)+(घ)					लागू नहीं
(ग) उपभोग ऋण					लागू नहीं
उसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					लागू नहीं
(घ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					लागू नहीं
3. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित नवीकरण**					लागू नहीं
4. **वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित टॉप-अप ऋण**					लागू नहीं
5. **वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण** (ङ)+(च)				लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
उसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(च) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
6. **वित्त वर्ष के दौरान वसूले गए गैर-निष्पादित ऋण** (छ) + (ज)				लागू नहीं	लागू नहीं
(छ) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
उसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(ज) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
7. **वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण** (झ) + (ञ)				लागू नहीं	लागू नहीं
(झ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं

[10] स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी के योग और ऐसे ऋणों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में गणना की गई

उसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(ञ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
8. **वित्तीय वर्ष के अंत में समापन शेष** (ट) + (ठ)					
(ट) उपभोग ऋण					
उसमें बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(ठ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					

भाग बी – स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक और नीलामी का विवरण

क्र. सं.	**विवरण**[11]	
क)	वित्तीय वर्ष के अंत में दावारहित[12] स्वर्ण या चांदी का संपार्श्विक (ग्राम में)	
बी)	ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी आयोजित की गई	
ग)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया	
घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए स्वर्ण या चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)	
ङ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए स्वर्ण या चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)	
च)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली (करोड़ रुपये में)	
छ)	वसूली प्रतिशत :	
ज)	स्वर्ण या चांदी के संपार्श्विक के मूल्य के % के रूप में	
झ)	बकाया ऋण के % के रूप में	

[11] संपार्श्विक का भार और मूल्य इन निदेशों के अनुच्छेद 17 और 18 के अनुसार गणना की जाएगी।

[12] जैसा कि इन निदेशों के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।